

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक/एफ/डीसी/लेखा/ प्रा.सं./2011/

दिनांक:-

विषय:- फार्मासिस्टों के संबंध में सूचना को कम्प्यूटराइज्ड करने बाबत

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्राक्कलन समिति 2009-10 द्वारा विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा के दौरान दि: 21-1-11 को निर्देश प्रदान किये गये कि विभाग द्वारा जो ड्रग लाइसेंस जारी किये जाते हैं उन पर कार्यरत/नियुक्त फार्मासिस्टो के संबंध में उनके नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कार्यस्थल इत्यादि से संबंधित सूचना को कम्प्यूटराइज्ड कराया जावे, जिससे एक ही फार्मासिस्टो के दो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ कार्य करने की संभावना पूर्णतया समाप्त हो सके।

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में आप सभी को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक फार्मासिस्ट के बारे में दिनांक 31-12-2010 तक की सूचना जिले वार Excel में हिन्दी में तैयार कर CD में (दो प्रतियाँ) मय एक हार्ड कापी निम्न प्रोफोर्मा में भिजवायें:

क्र.सं.	दवा विक्रेता का नाम/पता	जिला	लाइसेंस नंबर मय फर्म व दिनांक एवं वैधता तिथि	फार्मासिस्ट का नाम व पता	फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर
---------	-------------------------	------	--	--------------------------	------------------------------


तत्पश्चात प्रत्येक तिमाही (अप्रैल/जुलाई/अक्टूबर तथा जनवरी) के प्रथम सप्ताह में उपरोक्त प्रोफोर्मा में ही इसी प्रकार भिजवायेंगे।

औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर

क्रमांक/एफ/डीसी/लेखा/ प्रा.सं./2011/04

दिनांक:- 27-1-2011

- प्रतिलिपि 1. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
2. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
3. प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी, सर्वर रुम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट- औषधि नियंत्रण- Important letters पर उपलब्ध करावें।


औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर